सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क भवन :: पत्तन क्षेत्र :: विशाखापट्टनम
CUSTOM HOUSE :: PORT AREA :: VISAKHAPATNAM-530035

फ़ाइल संख्या : एस 10/20/2017-सा. नि. दिनांक : 02.02.2018

सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2018

विषय: वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के पश्चात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा अब तक किए जा रहे कार्यों को सीमा शुल्क को हस्तांतरण के उपरांत सीमा शुल्क आयुक्तालय विशाखापट्टनम के पुनर्गठन - के संदर्भ में।

****

समस्त आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकरों, स्टीमर एजेंटो, संरक्षकों/कस्टम कार्गो सेवा प्रदाताओं व्यापार संघों/वाणिज्य सभाओं एवं आमजनों का ध्यान देश भर के विभिन्न आयुक्तालयों के अधिकार क्षेत्रों को उल्लेखित करते हुये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमाशुल्क (एन टी) दिनांक 24.08.2017 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा अब तक अधिकृत क्षेत्रों को सीमा शुल्क को हस्तांतरित करते हुए एवं तदनुसार सीमा शुल्क गृह, विशाखापट्टनम के अधिकार क्षेत्र को पुनः उल्लेखित करते हुये, मुख्य आयुक्त, विशाखापट्टनम मण्डल द्वारा जारी व्यापार सूचना संख्या 02/2017 दिनांक 25.10.2017 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

2. उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में, सीमा शुल्क प्रधान आयुक्तालय विशाखापट्टनम का अधिकार क्षेत्र निमन्वत विनिर्दिष्ट किया जाता है :

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	क्षेत्र	प्राधिकृत अधिकारी
1	82/2017	विशाखापट्टनम पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा , विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं आंध्र प्रदेश में स्थित वृहत विशाखापट्टनम नगरपालिका के अधीन क्षेत्र	सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त, विशाखापट्टनम के अधीन कार्यरत सीमा शुल्क अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त अथवा उप-आयुक्त अथवा सह-आयुक्त

3. साथ ही, सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ (५२) के खंड 4 के के उप-खंड (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमाशुल्क (एन टी) दिनांक 24.08.2017 में संशोधन करते हुये नई अधिसूचना संख्या 03/2018-सीमाशुल्क (एन टी) दिनांक 10.01.2018 जारी किया गया जिसके माध्यम से सीमा शुल्क प्रधान आयुक्तालय, विशाखापट्टनम के अधिकार क्षेत्र को विस्तार दिया गया एवं निम्नलिखित क्षेत्र को उसमें जोड़ा गया है :

4. अधिसूचना संख्या 119/2017 -सीमा शुल्क (एन टी) दिनांक 28.12.2017 के अनुसार सीमा शुल्क प्रधान आयुक्तालय विशाखापट्टनम का उपरोक्त अधिकार क्षेत्र दिनांक 15.01.2018 से प्रभावी होगा।

5. सीमा शुल्क गृह, विशाखापट्टनम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सीमा शुल्क संबंधी कार्य जो अब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों द्वारा किए जा रहे थे वे दिनांक 01.01.2018 अर्थात अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमाशुल्क (एन टी) दिनांक 24.08.2017 के प्रभावी होने की तारीख से, सीमा शुल्क गृह विशाखापट्टनम के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सम्पन्न किए जाएंगे।

डी के श्रीनिवास
(डॉ. डी. के. श्रीनिवास)
सीमा शुल्क आयुक्त,

<u>प्रतिलिपि</u>

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क, विशाखापट्टनम मण्डल
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, विशाखापट्टनम
3. अधीक्षक (ई डी आई) - वेबसाइट पर रखने हेतु
4. मेल लिस्ट के अनुसार समस्त व्यापारीगण
5. सीमा शुल्क सदन, विशाखापट्टनम का सूचना पट्ट
6. हिन्दी अनुभाग- अनुवाद हेतु
7. समस्त संबन्धित अनुभाग।